न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या : 64/2014(जी.सी.एम.एस. 2014/00221)

प्रार्थी बनाम	अप्रार्थीगण
1. इमीचन्द पुत्र झण्डा राम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर।	1. पाल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह जाति रामगढिया निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 2. कालूराम पुत्र बचना राम जाति कुम्हार निवासी फूसेवाला तहसील श्रीकरणपुर।

तारीख रजू:- 06.08.2014

उपस्थित 1.श्री इलजीत सिंह बराड अधिवक्ता प्रार्थी
2.श्री इन्द्रजीत सिंह अधिवकत अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी

--निर्णय-- दिनांक : 28.07.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थन पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त अनवान का एक दावा मय 212 आरटीए श्रीमान् जी के न्यायालय में पेश किया गया था जिसमें प्रार्थी द्वारा चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 60 के खाता संख्या 24/8 के मुरब्बा नम्बर 39 के 1.176 हेक्टैयर बारानी भूमि के सम्बन्ध में मौका की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया। श्रीमान जी के न्यायालय द्वारा दिनांक 27.06.2011 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार करते हुए उक्त भूमि बाबत दोनों पक्षों को मूलवाद के निर्णय तक मौका की वर्तमान स्थिति बनाये रखे जाने बाबत स्थगन आदेश जारी किए। उक्त अनवान सदर का दावा श्रीमान् जी के न्यायालय में जैरकार है। उक्त स्थगन आदेश भी आज तक प्रभावी चला आ रहा है। उक्त स्थगन आदेश होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 ने मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 में कमरा व बरामदा का निर्माण कर लिया है और सीमेंट की चादर की छत लगा दी। उक्त निर्माण 15 बिस्वा पर किया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 ने मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 के 5 बिस्वा में ईंटे गिरवाकर नींव भर दी। प्रार्थी ने उक्त व्यक्तियों को कहा कि श्रीमान् जी के न्यायालय का स्थगन आदेश है। इसलिए वे किसी प्रकार का कोई निर्माण ना करे, लेकिन उन्होनें स्पष्ट कहा कि हमें स्थगन आदेश की कोई परवाह नही है। हम तो ऐसे ही निर्माण करेगें। जो करना है कर लो। अप्रार्थी को श्रीमान् जी के आदेश दिनांक 27.06.2011 की भली-भांति जानकारी होने के बावजूद न्यायालय के आदेश की परवाह ना करते हुए अप्रार्थी ने प्रार्थी की भूमि में नाजायज रूप से निर्माण किया है तथा न्यायालय के आदेश की अवमानना की है जो दण्डनीय है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी को उसके कृत्य की सजा दी जावे एक प्रति आदेश की पुलिस थाना केसरीसिंहपुर को भेजी जाकर आदेश की क्रियान्विति करवायी जावे एंव चक 2 एम के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21 के 15 बिस्वा एंव किला नम्बर 21 के 5 बिस्वा पर निर्माण कार्य करने से अप्रार्थीगण को रोके जाने के आदेश दिए जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इन्द्रजीत सिंह उपस्थित आए व जवाब

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:17:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार सही तथ्य इस प्रकार से है कि मुझ अप्रार्थी संख्या 1 ने चक 2 एम के खाता संख्या 24/8 के मुरब्बा नम्बर 39 में कुल 1.176 हेक्टैयर के किला नम्बर 21/1 के 15-1/2 बिस्वा भूमि दिनांक 06.01.1992 को खरीद कर ली थी। भूमि बेचानकर्ता सहकोरी, बद्री राम व कमली से खरीद की थी। कब्जा बेचान से पूर्व इन्ही का था। बेचान के बाद मुझ अप्रार्थी को सौंपा अप्रार्थी ने मशीनरी चलाने हेतु व निर्माण न्यायालय के स्थगन आदेश से पूर्व कर लिया था। इस कृषि भूमि को ग्राम पंचायत फूसेवाला ने आबादी भूमि में तबदील कर दिया था। जिसका दिनांक 16.11.1995 को पट्टा जारी कर अप्रार्थी संख्या 1 को दिया था। आरा मशीन, आटा चक्की, आरा मशीन चलाने का अनुज्ञा पत्र वन विभाग ने दिनांक 10.07.2001 को जारी किया न्यायालय द्वारा जब स्थगन आदेश जारी किया उसके बाद किसी तरह का निर्माण नहीं किया इन्तकाल नम्बर 90 दिनांक 25.02.1992 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है, विवादित भूमि सड़क के पास है इस कारण प्रार्थी के मन में बेईमानी आई हुई है। प्रार्थी झण्डा राम जो प्रार्थी का पिता था। जिसने वाद व आदेश 39 [illegible] दरख्वास्त पेश की। जिसका देहान्त दिनांक 27.09.2007 को हो चुका [illegible] वारिसान भी नियुक्त किये गये थे। जिनमें प्रार्थी फरीक मुकदमा प्रार्थना पत्र [illegible] वह प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा 18.06.2012 को न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवदेन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्व खारिज [illegible] प्रार्थना पत्र के कारण अप्रार्थीगण को भारी परेशानी हुई जो प्रार्थी से [illegible] के अधिकारी है जिन्हें प्रार्थी से दिलाये जाने के आदेश फरमाते हुए प्रार्थी का प्रार्थना [illegible] फरमाया जावे। साक्ष्य प्रार्थी में गवाह ईमीचन्द ने शपथ पत्र बावत साक्ष्य [illegible] किया। दस्तावेजात प्रदर्श-1 चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 28/25 की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-2 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2011, प्रकरण संख्या 100/2001, अनवान झण्डा राम आदि बनाम पाल सिंह अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श-3ए सरपंच ग्राम पंचायत 2 एम फूसेवाला प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रदर्शित करवाए। गवाह ईमीचन्द पुत्र झण्डाराम के बयान लिए गये। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई। जिरह में गवाह ईमीचन्द के द्वारा जाहिर किया कि उक्त जगह पर आटा चक्की एंव आरा वर्ष 2001 से पूर्व ही चल रहा हैं। उक्त जगह को लेकर पेश किया गया प्रार्थना पत्र आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी दिनांक 18.06.2012 को खारिज गया गया था। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई। साक्ष्य अप्रार्थी पेश नहीं करने पर बन्द की गई।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र प्रार्थी, जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण का अध्ययन किया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2065 ता 68 के खाता संख्या 28/25 की प्रमाणित प्रति, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) श्रीकरणपुर के निर्णय दिनांक 27.06.2011, प्रकरण संख्या 100/2001, अनवान झण्डा राम आदि बनाम पाल सिंह अन्तर्गत धारा 212 आरटीए की प्रमाणित प्रति व प्रकरण संख्या 46/2005 अनवान झण्डाराम आदि बनाम पाल सिंह अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी निर्णय दिनांक 18.0.2012 की छायाप्रति, सरपंच ग्राम पंचायत 2 एम फूसेवाला प्रमाण पत्र की छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा चक 2 एम की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 60 के खाता संख्या 24/8 के मुरब्बा नम्बर 39 के 1.176 हेक्टैयर बारानी भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 27.06.2011 की अप्रार्थीगण द्वारा

अवहेलना करने पर सजा बाबत व निर्माण कार्य रोकने बाबत निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया है कि चक 2 एल के मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 21/1 के 15-1/2 बिस्वा भूमि पर अप्रार्थी ने मीनिका चलाने हेतु आरा मशीन, आटा चक्की, का निर्माण न्यायालय के स्थगन आदेश से पूर्व कर लिया था। आरा मशीन चलाने का अनुज्ञा पत्र वन विभाग ने दिनांक 10.07.2001 को जारी किया है। न्यायालय द्वारा जब स्थगन आदेश जारी किया उसके बाद किसी तरह का निर्माण नहीं किया गया है। इन्तकाल नम्बर 90 दिनांक 25.02.1992 को अप्रार्थी संख्या 1 के नाम है, विवादित भूमि सड़क के पास है इस कारण प्रार्थी के मन में बेईमानी आई हुई है। प्रार्थी क्रपा राम जो प्रार्थी का पिता था। जिसने बाद व आदेश 39 नियम 2 ए सीपीसी की दरख्वास्त पेश की। जिसका देहान्त दिनांक 27.0[illegible] को हो चुका था। जिसके जायज वारिसान भी नियुक्त किये गये थे। जिनमें प्रार्थी [illegible] प्रार्थना पत्र में भी था। यह प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा 18.06.2012 [illegible] न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त करवाया [illegible] प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में यह सिद्ध नहीं किया है कि अप्रार्थीगण के द्वारा नि[illegible] के स्थगन आदेश दिनांक 27.06.2011 के बाद किया है। इससे पूर्व भी [illegible] उक्त भूमि के संबंध में प्रकरण संख्या 46/2005, क्रपा राम बनाम [illegible] अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 सीपीसी निर्णय दिनांक 18.06.2012 को खारिज किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2022.12.12 11:17:24 IST
Reason: SelfAttested

-आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सीपीसी भली-भांति साबित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर